

न्यायालय :- संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

दा0प्र0क0 - 431/09
संस्थित दि0 - 17.09.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, चन्देरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

----- अभियोजन

—: विरुद्ध :-

1. मुन्ना पुत्र जरऊ आदिवासी, आयु-32 वर्ष,
2. सरनाम पुत्र जरऊ आदिवासी, आयु-25 वर्ष,
3. रत्तू पुत्र जरऊ आदिवासी, आयु-40 वर्ष,
समस्त निवासीगण-ग्राम मोहनपुर, थाना-
चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

----- अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 08.12.2014 को घोषित)

1. अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 354, 323/34, 190 के तहत आरोप है कि, दिनांक 10.09.2009 को समय 20:30 बजे ग्राम मोहनपुर में फरियादी चंदाबाई जो कि, एक स्त्री है कि, लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी धनुआ की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया तथा उस आशय के अग्रसरण में फरियादी की मारपीट कर उपहति कारित की व फरियादी चंदाबाई को लोकसेवक की संरक्षा से विरत रहने हेतु आवेदन देने से रोकने हेतु जान से मारने की धमकी दी।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि, आरोपीगण एवं फरियादिया आपस में रिश्तेदार है।
3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना करीब 8:30 बजे की है। फरियादिया अपने पति के साथ घर पर टी.व्ही. देख रही थी कि, फरियादी अपने घर के बाहर पेशाब करने गईं तभी उसके गांव का मुन्ना आदिवासी शराब पीकर आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया व उसकी छाती दबा दी। फरियादिया चिल्लाई तो उसकी सास हरकुंवर बाई आ गईं तभी मुन्ना उसे छोड़कर भाग गया तब तक फरियादिया का पति व घर के अन्य लोग

वहां इकट्ठे हो गये और पंचायत जोड़ी तब मुन्ना, सरनाम व रत्तू आये और उसके पति की मारपीट लात-घूंसें व थप्पड़ों से की और तीनों आरोपी बोले कि, थाने में रिपोर्ट करने गई तो जान से मारकर फेंक देंगे। तब फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चन्देरी में की। थाना चन्देरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया तथा अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. आरोपीगण पर भा0द0वि0 की धारा 354, 323/34, 190 के दंडनीय अपराध का आरोप लगाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया व विचारण चाहा। विचारण दौरान फरियादी द्वारा शमन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 354 व 323/34 शमनीय प्रकृति की होने से दोषमुक्त किया जा चुका है। चूंकि धारा 190 भा0द0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धाराओं के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया, फरियादी के कथन लिये गये। अभियोजन द्वारा आई हुई साक्ष्य तथा राजीनामा के तथ्य को देखते हुए न्यायालय के समय एवं शासन की धनराशि के अपव्यय रोकने के उद्देश्य से अभियोजन द्वारा, अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गई, किन्तु प्रकरण में उपलब्ध साक्षियों की साक्ष्य से धारा 190 भा0द0वि0 के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आये है, अतः अभियुक्त के कथन नहीं लिये गये।

5. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या आरोपीगण ने दिनांक 10.09.2009 को समय 20:30 बजे ग्राम मोहनपुर में फरियादी चंदाबाई को लोकसेवक की संरक्षा से विरत रहने हेतु आवेदन देने से रोकने हेतु जान से मारने की धमकी दी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी श्रीमति चंदाबाई (अ.सा.-1), हरकुंवर बाई (अ.सा.-2), धनुआ (अ.सा.-3) के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं।

7. श्रीमति चंदाबाई (अ.सा.-1) का कहना है कि, घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को मैं अपने घर में अपने पति के साथ टी.व्ही. देख रही थी तभी आरोपीगण उसके साथ गाली-गलोंच करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे थे तब उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 थाना चन्देरी में लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने मेरी निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, जब वह लोग रिपोर्ट करने जा रहे थे तब आरोपीगण ने उन्हें रोककर जान से मारने की धमकी दी थी।

8. इसी प्रकार साक्षी हरकुंवर बाई (अ.सा.-2) ने अपने अपने कथनों बताया है कि, घटना लगभग 3-4 वर्ष पूर्व की है। आरोपीगण एवं उसकी बहू के बीच वाद-विवाद हो गया था। उसे घटना के संबंध में और कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, जब वह लोग रिपोर्ट करने जा रहे थे तब आरोपीगण ने उन्हें रोककर जान से मारने की धमकी दी थी।

9. इसी प्रकार साक्षी धनुआ (अ.सा.-3) ने भी अपने कथनों में बताया है कि, घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपने घर पर अपनी पत्नि के साथ टी.व्ही. देख रहा था तभी आरोपीगण उसकी पत्नि के साथ गाली-गलोंच करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे व जान से मारने की धमकी देने लगे थे तब उसकी पत्नि ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 थाना चन्देरी में लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षियों के द्वारा इस बात से इन्कार किया गया है कि, जब हम लोग रिपोर्ट करने जा रहे थे तब आरोपीगण ने हमें रोक कर जान से मारने की धमकी दी थी।

10. इस प्रकार साक्षियों के कथनों तथा राजीनामा के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समय व शासन की धनराशि के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से साक्ष्य समाप्त कर दी गई। फरियादी द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं है कि, आरोपीगण द्वारा फरियादिया चंदाबाई को रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी हो।

11. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन एवं घटना का समर्थन नहीं किया गया है कि, आरोपीगण द्वारा फरियादिया को लोक सेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी।

12. अतः आरोपीगण पर धारा 190 भा0दं0वि0 का दंडनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। फलतः आरोपीगण को धारा 190 भा0दं0वि0 के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है, तत्संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण-पत्र बनाया जावे।

13. आरोपीगण के जमानत एवं मुचलके उन्मुक्त किये जाते हैं एवं उन्हें स्वतंत्र किया जाता है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

-

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर